संख्या-125/2020/151/22-2-2020-17(110)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2020***

विषय:- आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजनरायन पुत्र श्री सदाशिव कुर्मी, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1308/प्रोबे0-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 13.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजनरायन पुत्र श्री सदाशिव कुर्मी, जो मुगूंस, थाना-तिन्दवारी, जिला बांदा का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 31.03.99 को नीता नामक महिला से अपने दरवाजे की कुन्डी खुलवाने के बहाने बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 133/99, में धारा-376 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बांदा के आदेश दिनांक 03.08.2000 द्वारा 10 वर्ष की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2006 द्वारा 10 वर्ष की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 20 वर्ष 09 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर- 3(13) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी से आच्छादित होने के कारण सिद्धदोष बन्दी राजनरायन पुत्र सदाशिव कुर्मी की समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजनरायन (बन्दी संख्या-2499/2000) पुत्र श्री सदाशिव कुर्मी निवासी जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
विशेष सचिव।

संख्या-125/2020/151(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in